हरीराम बनाम उदाराम
2024 / 190
निर्णय दिनांकः–13.06.2025

सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना–बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी –भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–70 / 2024 दर्ज तिथिः–04.09.2024

1. हरीराम पुत्र रामूराम
जाति विश्नोई निवासी खारकी बेरी,रोहला पटवार हल्का लूखू, तहसील धोरीमन्ना
.................वादी

बनाम

1. उदाराम पुत्र हरीगाराम
2. केवलाराम पुत्र श्रीराम
3. जगदीश पुत्र श्रीराम
4. पृथ्वीराज पुत्र सोनाराम
5. भीयाराम पुत्र रामूराम
6. मगाराम पुत्र भाखरराम
7. मीरों देवी पत्नी भाखरराम
8. रामचन्द्र पुत्र श्रीराम
9. सोहनलाल पुत्र भाखरराम
10. हरखू पत्नी श्रीराम
जाति विश्नोई निवासी खारकी बेरी,रोहिला पटवार हल्का लूखू,तहसील धोरीमना
.................असल प्रतिवादीगण

11. विकास अधिकारी,पंचायत समिति धोरीमना
12. सरपंच ग्राम पंचायत रोहिला पूर्व तहसील धोरीमना
13. सहायक अभियंता,जोविविनिलि शाखा धोरीमना
14. शाखा प्रबन्धक,भारतीय स्टेट बैंक शाखा धोरीमना
15. तहसीलदार एवं उपपंजियक धोरीमन्ना

..................तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीगणः–श्री मदनलाल
प्रतिवादीः– श्री राजूराम
श्री रामनिवास विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88,53,188
रा[illegible] काश्त0 अधिनियम–1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:05:13 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]कलक्टर
SDO धोरीमना

हरीराम बनाम उदाराम
2024/190
निर्णय दिनांकः—13.06.2025

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—13.06.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा—88,53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा—88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा संख्या 60/18.3484 है0 वाके ग्राम कावों की बेरी , खसरा संख्या 374/5.5118 है0 , 533/0.0647 है0, 534/7.7376 है0, 554/472/2.2663 है0 मौजा खारकी बेरी ,पटवार हल्का लूखू तथा खसरा संख्या 265/2.1125 है0 मौजा जम्भशक्ति धाम पटवार हल्का उड़ासर तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा प्रतिवादीगणका हिस्सामुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कृषि काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्रदर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 5,8 व 9 हाजा न्यायालय में असालतन—वकालतन उपस्थित होकर जवाबदावा मय काउन्टर क्लैम प्रस्तुत किया जिस वकुलाय सहमति होने पर बिना साक्ष्य प्रस्तुत किये सीधे बहस का निवेदन किया दावा तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अभिभाषक वादी की जिरह सुनी गई। विद्वान अभिभाषक वादी ने दौरान ए जिरह संयुक्त आराजी में से अपना खाता मुताबिक जमाबंदी पृथक कर बंटवारा किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। जिस पर भू—धारक तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा अपने पत्रांक/भू.अ./2024/1162 दिनांक 08.05.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत किया। अभिभाषकगण उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। उक्त कुर्रेजातं रिपोर्ट पर अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा अपने पत्रांक भू.अ./2024/1162 दिनांक 08.05.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम 18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का वि[illegible] प्रकार हैः—

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:05:13 IST
Reason: SelfAttested

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	[illegible] गई प्रक्रिया

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 29.04.2025 को तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा मय पटवारी / गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील धोरीमन्ना के नोटिस क्रमांक भू.अ. / 2025 / नोटिस / 1153—1167 दिनांक 22.04.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 29.04.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया गया जाकर तामिल करवाये गए। समस्त पक्षकार मौके पर उपस्थित रहे। उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। समस्त वादी एवं प्रतिवादी पक्षकार द्वारा मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किये गए।

3. प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण वकुलाय द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2071—2074 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 60 / 18.3484 है0 वाके ग्राम कावों की बेरी , खसरा संख्या 374 / 5.5118 है0 , 533 / 0.0647 है0, 534 / 7.7376 है0, 554 / 472 / 2.2663 है0 मौजा खारकी बेरी ,पटवार हल्का लूखू तथा खसरा संख्या 265 / 2.1125 है0 मौजा जम्भशक्ति धाम पटवार हल्का उड़ासर तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है। अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन—प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा— ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी [illegible] साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा [illegible] ती[illegible] महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार है:—

प्रथम— स्वामित्व एवं कब्जाः— प्रकरण [illegible] बाद तकसीम पृथक—पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:05:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह— काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्त्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय— सुविधा का सन्तुलनः— प्रकरण में बाद तकसीम पृथक—पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार हैं एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय— अपूरणीय क्षतिः— प्रकरण में बाद तकसीम पृथक—पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद—रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक—पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी एवं प्रतिदावा प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 60 / 18.3484 है0 वाके ग्राम कावों की बेरी, खसरा संख्या 374 / 5.5118 है0, 533 / 0.0647 है0, 534 / 7.7376 है0, 554 / 472 / 2.2663 है0 मौजा खारकी बेरी ,पटवार हल्का लूखू तथा खसरा संख्या 265 / 2.1125 है0 मौजा जम्भशक्ति धाम पटवार हल्का उड़ासर तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर [illegible] मुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिका [illegible] वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के [illegible] राजस्व रिकॉर्ड [illegible] रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टियां [illegible] के आदेश तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:05:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

हरीराम बनाम उदाराम
2024/190
निर्णय दिनांक:–13.06.2025

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म	लगान	वरंग
हरीराम पुत्र रामूराम कौम विश्नोई सा.देह खातेदार	आंशिक	60 कावों की बेरी 374 खारकी बेरी 534 खारकी बेरी 534 खारकी बेरी	1.9425 0.6890 1.1247 0.5244	बा.दो.	0.72 0.26 0.42 0.19	हरा
		4	4.2806		1.59	
भींयाराम पुत्र रामूराम कौम विश्नोई सा.देह खातेदार	आंशिक	60 कावों की बेरी 534 खारकी बेरी 374 खारकी बेरी	2.3932 1.1984 0.6890	बा.दो.	0.89 0.44 0.25	आसमानी
		3	4.2806	बा.दो	1.58	
उदा पुत्र हरींगा केवला पुत्र श्रीराम रामचन्द्र पुत्र श्रीराम जगदीश पुत्र श्रीराम हरखू पत्नी श्रीराम कौम विश्नोई सा.देह खातेदार रहन बदस्तूर जमाबंदी	1/2 1/8 1/8 1/8 1/8	60 कावों की बेरी 60 कावों की बेरी 374 खारकी बेरी 554/472 खारकी बेरी 534 खारकी बेरी 534 खारकी बेरी 265 जम्भशक्ति	4.6134 4.3585 2.7558 2.2663 2.1044 0.3925 1.2140	बा.दो.	1.71 1.61 1.02 0.84 0.78 0.15 0.36	गुलाबी
		7	17.7049	बा.दो.	3.15	
मगाराम पुत्र भाखरराम सोहनलाल पुत्र भाखरा मीरां पत्नी भाखरराम कौम विश्नोई सा.देह. खातेदार रहन बदस्तूर जमाबंदी	1/3 1/3 1/3	60 कावों की बेरी 534 खारकी बेरी 374 खारकी बेरी	2.2430 1.3486 0.6890	बा.दो.	0.83 0.50 0.26	लाल
		3	4.2806	बा.दो.	1.59	
पृथ्वीराज पुत्र सोना कौ.विश्नोई सा.दे.खाते	आंशिक	60 कावों की बेरी 374 खारकी बेरी 534 खारकी बेरी 533 खारकी बेरी 265 जम्भशक्ति	2.3932 0.6890 0.2352 0.0647 0.8985	बा.दो. बा.दो. बा.दो. गै.मु. बा.सो.	0.89 0.25 0.09 – 0.27	पीला
		5	4.2806		1.50	
हरीराम पुत्र रामूराम भींयाराम पुत्र रामूराम पृथ्वीराज पुत्र सोनाराम मगाराम पुत्र भाखरराम, सोहनलाल पुत्र भाखरा मीरां पत्नी भाखरराम कौम विश्नोई सा.देह.खा.	1/4 1/4 1/4 1/12 1/12 1/12	534 खारकी [illegible]	[illegible]476	बा.दो.	0.24	बैंगनी
राजस्थान सरकार		60 कावों की बेरी 534 खारकी बेरी	0.4046 0.1618	गै.मु.रा. गै.मु.रा.	– –	काला

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:05:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

हरीराम बनाम उदाराम
2024/190
निर्णय दिनांकः–13.06.2025

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 13.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

13/6/2025

(भागीरथराम आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना, बाड़मेर

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

सहायक कलक्टर जिला-बाड़मेर
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:05:13 IST
Reason: SelfAttested

हरीराम बनाम उदाराम
2024 / 190
निर्णय दिनांकः–13.06.2025

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–70 / 2024 दर्ज तिथिः–04.09.2024

1. हरीराम पुत्र रामूराम
   जाति विश्नोई निवासी खारकी बेरी,रोहला पटवार हल्का लूखू, तहसील धोरीमन्ना
   ....वादी

बनाम

1. उदाराम पुत्र हरीगाराम
2. केवलाराम पुत्र श्रीराम
3. जगदीश पुत्र श्रीराम
4. पृथ्वीराज पुत्र सोनाराम
5. भीयाराम पुत्र रामूराम
6. मगाराम पुत्र भाखराराम
7. मीरों देवी पत्नी भाखराराम
8. रामचन्द्र पुत्र श्रीराम
9. सोहनलाल पुत्र भाखराराम
10. हरखू पत्नी श्रीराम
    जाति विश्नोई निवासी खारकी बेरी,रोहिला पटवार हल्का लूखू,तहसील धोरीमना
    ....असल प्रतिवादीगण

11. विकास अधिकारी,पंचायत समिति धोरीमना
12. सरपंच ग्राम पंचायत रोहिला पूर्व तहसील धोरीमना
13. सहायक अभियंता,जोविविनिलि शाखा धोरीमना
14. शाखा प्रबन्धक,भारतीय स्टेट बैंक शाखा धोरीमना
15. तहसीलदार एवं उपपंजियक धोरीमन्ना
    ....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादी:–श्री मदनलाल
प्रतिवादी:– श्री राजूराम
श्री रामनिवास विश्नोई

[illegible] अन्तर्गत धारा–88,53,188
राजस्थान काश्त0 अधिनियम–1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:05:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

हरीराम बनाम उदाराम
2024/190
निर्णय दिनांकः—13.06.2025

—:पर्चा डिक्रीः—

दावा वादी एवं प्रतिदावा प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 60/18.3484 है0 वाके ग्राम कावों की बेरी, खसरा संख्या 374/5.5118 है0, 533/0.0647 है0, 534/7.7376 है0, 554/472/2.2663 है0 मौजा खारकी बेरी ,पटवार हल्का लूखू तथा खसरा संख्या 265/2.1125 है0 मौजा जम्भशक्ति धाम पटवार हल्का उड़ासर तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
हरीराम पुत्र रामूराम कौम विश्नोई सा.देह खातेदार	आंशिक	60 कावों की बेरी 374 खारकी बेरी 534 खारकी बेरी 534 खारकी बेरी	1.9425 0.6890 1.1247 0.5244	बा.दो.	0.72 0.26 0.42 0.19	हरा
		4	4.2806		1.59	
भींयाराम पुत्र रामूराम कौम विश्नोई सा.देह खातेदार	आंशिक	60 कावों की बेरी 534 खारकी बेरी 374 खारकी बेरी	2.3932 1.1984 0.6890	बा.दो.	0.89 0.44 0.25	आसमानी
		3	4.2806	बा.दो	1.58	
उदा पुत्र हरींगा केवला पुत्र श्रीराम रामचन्द्र पुत्र श्रीराम जगदीश पुत्र श्रीराम हरखू पत्नी श्रीराम कौम विश्नोई सा.देह खातेदार रहन बदस्तूर जमाबंदी	1/2 1/8 1/8 1/8 1/8	60 कावों की बेरी 60 कावों की बेरी 374 खारकी बेरी 554/472 खारकी बेरी 534 खारकी बेरी 534 खारकी बेरी 265 जम्भशक्ति	4.6134 4.3585 2.7558 2.2663 2.1044 0.3925 1.2140	बा.दो.	1.71 1.61 1.02 0.84 0.78 0.15 0.36	गुलाबी
		7	17.7049	बा.दो.	3.15	
मगाराम पुत्र भाखराराम सोहनलाल पुत्र भाखरा मीरां पत्नी भाखराराम कौम विश्नोई सा.देह. खातेदार रहन वदस्तूर जमावंदी	1/3 1/3 1/3	60 कावों की [illegible] 534 खारकी बेरी 374 खारकी बेरी	[illegible] [illegible] 0.6890	बा.दो.	0.83 0.50 0.26	लाल
		3	4.2806	बा.दो.	1.59	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:05:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

हरीराम बनाम उदाराम
2024 / 190
निर्णय दिनांकः—13.06.2025

पृथ्वीराज पुत्र सोना कौ.विश्नोई सा.दे.खाते	आंशिक	60 कावों की बेरी 374 खारकी बेरी 534 खारकी बेरी 533 खारकी बेरी 265 जम्भशक्ति	2.3932 0.6890 0.2352 0.0647 0.8985	बा.दो. बा.दो. बा.दो. गै.मु. बा.सो.	0.89 0.25 0.09 — 0.27	पीला
		5	4.2806		1.50	
हरीराम पुत्र रामूराम भींयाराम पुत्र रामूराम पृथ्वीराज पुत्र सोनाराम मगाराम पुत्र भाखरराम, सोहनलाल पुत्र भाखरा मीरां पत्नी भाखरराम कौम विश्नोई सा.देह.खा.	1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 12 1 / 12 1 / 12	534 खारकी बेरी	0.6476	बा.दो.	0.24	बैंगनी
राजस्थान सरकार		60 कावों की बेरी 534 खारकी बेरी	0.4046 0.1618	गै.मु.रा. गै.मु.रा.	— —	काला

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

यह डिक्री आज दिनांक 13.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

13/6/2025

(भागीरथराम आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:05:13 IST
Reason: SelfAttested